संख्या 31011/2/75-स्थापना(क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली -110001, दिनांक 3 फरवरी 1979

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत - के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण तथा निर्णय ।

मुझे इस विभाग के दिनांक 11 मार्च, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 43/6/73-स्थापना(क) तथा बाद के दिनांक 3 मई, 1974 के सममंख्यक कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में, भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत से सम्बन्धित कुछ मुद्दों पर निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण देने का निदेश हुआ है :-

1- क्या भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत उन लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ है जो मूल निवास स्थान (होम टाउन) के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार पहले ही हैं ।	1- नहीं । ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में, जो मूल निवास स्थान (होम टाउन) के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार पहले से ही हैं, भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की रियायत मूल निवास स्थान की छुट्टी यात्रा रियायत के बदले में है और इसे मूल निवास की उस छुट्टी यात्रा रियायत के लिए समायोजित किया जाना है जिसका भारत के किसी भी स्थान की यात्रा करने के समय सरकारी कर्मचारी पात्र है तथा इसमें अंतर्नीत की गई रियायत, यदि कोई हो, भी शामिल है ।
2- क्या कोई सरकारी कर्मचारी, जिसने दो वर्ष के ब्लाक में मूल निवास स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त कर ली है, दो वर्षों के उसी ब्लाक में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत प्राप्त कर सकता है या उसे अगले दो वर्षों के ब्लाक की प्रतीक्षा करनी होगी ।	2- जैसाकि ऊपर मद संख्या (1) के अधीन पहले ही बताया गया है, यदि मूल निवास स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार सरकारी कर्मचारी द्वारा भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त की जाती है तो वह रियायत यात्रा आरम्भ करने के समय उसे मूल निवास स्थान के लिए उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत के लिए समायोजित की जाएगी इस लिए जिस सरकारी कर्मचारी ने ब्लाक 1978-79 के सम्बन्ध में मूल निवास स्थान की छुट्टी यात्रा रियायत यदि पहले ही प्राप्त कर ली है तो वह भारत के किसी भी स्थान की यात्रा करने की रियायत 1979 के अन्त तक प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसे मूल

निवास स्थान के लिए ऐसी कोई छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय नहीं है, जिसे भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत के लिए समायोजित किया जा सके। वह भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत तभी प्राप्त कर सकता है जब वह मूल निवास स्थान की छुट्टी यात्रा रियायत के अगले ब्लाक अर्थात् 1980-81 के लिए हकदार है।

3-	क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी यात्रा आरम्भ करने से पहले उस स्थान की सूचना, जिसकी वह या उसके परिवार का (के) सदस्य यात्रा करना चाहता है अपने नियंत्रक प्राधिकारी को देनी चाहिए। तथा भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन उक्त स्थान की यात्रा उसे वास्तव में करनी चाहिए	हाँ, जब कभी कोई सरकारी कर्मचारी अपने लिए और/या परिवार के किसी सदस्य/ सदस्यों के लिए चार वर्षों के एक ब्लाक में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है तो सरकारी कर्मचारी और /अथवा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जाने वाली रियायत का प्रस्ताव करते समय उसे अपनी यात्रा के अभीष्ट स्थान की घोषणा करनी होती है। यात्रा के अभीष्ट स्थान की घोषणा करने के पश्चात् उसे और/या उसके परिवार के सदस्य /सदस्यों को जैसी भी स्थिति हो, उस स्थान की यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी ताकि वह दावा करने का पात्र हो सके। यद्यपि सरकारी कर्मचारी और /अथवा उसके परिवार का /के सदस्य घोषित स्थान की यात्रा किसी भी मार्ग द्वारा करने के लिए स्वतंत्र हैं तो भी दावे का नियमन मुख्यालय तथा यात्रा के घोषित स्थान के बीच लघुतम सीधे मार्ग के सन्दर्भ में पूरे टिकट के आधार पर किया जाएगा।
4-	''भारत में कोई भी स्थान'' शब्द का क्षेत्र कहाँ तक है।	'भारत में कोई भी स्थान' शब्दों में भारतीय क्षेत्र के भीतर कोई भी स्थान शामिल है चाहे वह भारत की मुख्य भूमि पर है या समुद्र पार है। सीमान्त क्षेत्रों के स्थानों की यात्राओं पर यदि कोई स्थानीय प्रतिबन्ध हैं तो यात्रा करने वाले सरकारी कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह ऐसे स्थानों की यात्रा के लिए उन शर्तों को पूरा करें जो स्थानीय प्रतिबन्धों के अधीन हैं।
5-	जब कोई सरकारी कर्मचारी भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत के अधीन अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर जैसे स्थान की यात्रा करता है तो उसका दावा किस प्रकार नियमित किया जाएगा।	समीपस्थ पोर्ट की थल यात्रा तक का नियमन सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन किया जाएगा तथा समुद्री मार्ग की यात्रा का नियमन एस० आर०-40 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

6- क्या भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की रियायत उन सरकारी कर्मचारीयों को भी अनुज्ञेय है जो ठेके के आधार पर नियुक्त हैं ?

हाँ, बशर्ते कि वे एक वर्ष की लगातार सेवा पूरे लें तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा भारत के किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त किए जाने के समय उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी, यह प्रमाणित कर दे कि उक्त कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार के अधीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में बने रहने की सम्भावना है । चार वर्षों के ब्लाक की गणना केन्द्रीय सरकार के अधीन पद ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से की जाएगी ।

7- राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को, जो केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं, भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की अनुज्ञेयता के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

यदि किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार मूल स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है तो वह या तो इस रियायत का उपयोग अपने मूल स्थान की यात्रा के लिए कर सकता है अथवा इसे भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत में बदल सकता है । किन्तु शर्त यह होगी कि सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को यह प्रमाणित करना होगा कि ऐसी संभावना है कि वह केन्द्रीय सरकार की सेवा में 4 वर्ष की अवधि तक बना रहेगा । मूल निवास के छुट्टी यात्रा रियायत के सम्बन्ध में निर्धारित न्यूनतम दूरी के भीतर होने के कारण यदि सम्बन्धित अधिकारी मूल निवास के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार नहीं है तो वह भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब कि उपयुक्त प्रशासनिक प्राधिकारी प्रमाणित कर दे कि ऐसी सम्भावना है कि वह केन्द्रीय सरकार में 4 वर्ष की अवधि तक सेवा करता रहेगा और इस सेवा की गणना उसके द्वारा केन्द्रीय सरकार में कार्य ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी ।

8- भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की रियायत के लिए पुनर्नियोजित अधिकारी की पात्रता के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ।

कोई पुनर्नियोजित अधिकारी भी भारत के किसी स्थान की यात्रा की रियायत प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि पुनर्नियोजन के बाद उसने एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है और प्रशासनिक प्राधिकारी या यह प्रमाणित कर देता है कि उसके प्रारम्भिक पुनर्नियोजन की तारीख से चार वर्ष की अवधि तक सेवा में बने रहने की सम्भावना है । सेवा निवृत्ति के तत्काल बाद, बिना किसी अन्तराल के पुनर्नियोजन के मामले में छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन हेतु पुनर्नियोजित सेवा की अवधि

को पिछली सेवा के साथ लगातार सेवा समझा जाए और पुनर्नियोजित अवधि के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को अनुमति दे दी जाए बशर्ते कि पुनर्नियोजित अधिकारी को सेवा निवृत्त न होने की अवस्था में उक्त रियायत अनुज्ञेय होती । इस प्रकार यदि किसी अधिकारी ने अपनी सेवानिवृत्ति से पूर्व चार वर्षों के ब्लाक के सम्बन्ध में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए उक्त रियायत प्राप्त कर ली है और उसे बिना किसी अन्तराल के पुनर्नियोजित कर लिया गया है तो चार वर्षों के उस विशेष ब्लाक के समाप्त होने तक उसे आगे कोई रियायत नहीं दी जाएगी ।

9- यदि कोई सरकारी कर्मचारी परिवार यात्रा टिकट खरीद लेता है तो भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन उसका दावा किस प्रकार निपटाया जाएगा ।

जैसाकि पहले कहा गया है, सरकारी कर्मचारी को उस स्थान (स्थानों) की घोषणा करनी होती है जिसके सन्दर्भ में वह और/अथवा उसके परिवार का/ के सदस्य भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए रियायत प्राप्त करेगा । इस बारे ऐसा किए जाने पर, दावे का नियन्त्रण मुख्यालय तथा सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान (स्थानों) के बीच लघुतम सीधे मार्ग द्वारा किया जाएगा । वास्तविक दावा उस राशि तक सीमित होगा जो उसे तब अनुज्ञेय होता जब अधिकारी ने मुख्यालय तथा घोषित स्थान के मध्य लघुतम सीधे मार्ग द्वारा परिवार यात्रा टिकट खरीद कर वास्तव में प्रयोग की गई श्रेणी में अथवा अधीकृत श्रेणी, जो भी कम हो, में यात्रा की होती।

10- क्या मूल स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के प्रयोजन के लिए तथा 'कुटुम्ब' की परिभाषा भारत के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पर भी लागू होगी ?

हाँ

2- छुट्टी यात्रा रियायत के सम्बन्ध में सरकार के निम्नलिखित निर्णय भी सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों की जानकारी में लाए जाते हैं :-

1- नियंत्रक प्राधिकारी की यात्रा के घोषित स्थान की सूचना देने के पश्चात उसमें परिवर्तन ।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी यात्रा के घोषित स्थान में परिवर्तन करना चाहता है तो वह अपनी यात्रा आरम्भ करने से पूर्व, नियंत्रक प्राधिकारी की अनुमति से ऐसा कर सकता है ।

यात्रा के घोषित स्थान में, यात्रा आरम्भ करने के पश्चात् परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

किन्तु जहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि परिस्थितियां सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर होने के कारण यात्रा के स्थान में परिवर्तन या अनुरोध यात्रा आरम्भ करने से पूर्व नहीं किया जा सका तो इसको छूट दी जा सकती है । यह छूट किसी मंत्रालय/ विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अथवा अन्य मामलों में विभागाध्यक्ष द्वारा दी जा सकती है और दावों को स्वीकार किया जा सकता है ।

2- भारत के किसी भी स्थान की यात्रा की रियायत के अधीन सरकारी कर्मचारी तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अलग-अलग स्थानों की यात्रा ।

2- भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करते समय, सरकारी कर्मचारी और/ अथवा उनके परिवार के सदस्य एक ही स्थान की अथवा अपनी पसन्द के अलग-अलग स्थानों की यात्रा कर सकते हैं । जब सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अपने मूल स्थान (होम टाउन) की यात्रा करता है तो उक्त सरकारी कर्मचारी को दोनों मार्गों की प्रथम 400/160 किलो मीटर की यात्रा का व्यय स्वयं वहन करना पड़ेगा ।

3- जब कोई सरकारी कर्मचारी भोजन आदि की व्यवस्था सहित यात्रा विशेष ट्रेन में सीट खरीद लेता है तो छुट्टी यात्रा रियायत के दावे का नियमन ।

3- इस मामले में, दावे का नियमन सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट स्थान को उसका यात्रा स्थान मानकर किया जायगा । यदि मुख्यालय तथा यात्रा के घोषित स्थान के बीच की यात्रा अधिकृत श्रेणी अथवा निम्नतर श्रेणी (यदि यात्रा विशेष (स्पेशल) ट्रेन द्वारा यात्रा करते समय स्थान की निम्नतर श्रेणी का वास्तव में प्रयोग किया गया है) द्वारा लघुतम सीधे मार्ग के आधार पर किये गए दावे की राशि, यात्रा विशेष (स्पेशल) ट्रेन में सीट खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा व्यय की गई राशि से कम है तो केवल अधिकृत श्रेणी अथवा निम्नतर श्रेणी की राशि ही अनुज्ञेय होगी ।

4- जब कोई सरकारी कर्मचारी भाड़े पर ली गई बस में यात्रा करता है तो छुट्टी यात्रा रियायत का नियमन

4- जब कोई सरकारी कर्मचारी भारत के किसी भी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन भाड़े पर ली गई बस में सीट या सीटें लेता है तो प्रतिपूर्ति या तो भाड़े पर ली गई बस के वास्तविक किराए के लिए अथवा यात्रा के घोषित स्थान की यात्रा लघुतम सीधे मार्ग द्वारा रेल की अधिकृत श्रेणी द्वारा किए जाने पर प्रतिपूर्ति योग्य राशि के लिए, जो भी कम हो, की जायगी ।

5- यदि किसी सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी केन्द्रीय सरकारी कार्यालय

5- ऐसे मामलों में, सरकारी कर्मचारी को अपना छुट्टी यात्रा रियायत का दावा करते समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र देना होगा :—

के अलावा किसी ऐसे कार्यालय में नियुक्त है जहाँ छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाएं उपलब्ध हैं तो ऐसे मामले में छुट्टी यात्रा रियायत के दावे का निपटान ।

"प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/पति, —) - जिसके लिए मैं छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर रहा हूँ— - (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/निगम/स्वायत निकाय आदि का नाम) में नियुक्त है, जो छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान करता है किन्तु उसने इस सम्बन्ध में अपने नियोक्ता से कोई दावा नहीं किया है और न ही करेगा/करेगी।

जहाँ सरकारी कर्मचारी का पति/ पत्नी नौकरी में नहीं हैं तो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित प्रमाण पत्र देना चाहिए :—

" प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी / पति जिसके लिए मैं छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर रहा हूँ, किसी भी ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, निगम/ केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः सहायता प्राप्त कर रहे स्वायत निकाय अथवा स्थानीय निकाय में नियुक्त नहीं है, जो अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधाएं प्रदान करता है "

3- उपर्युक्त पैरा 2(2) के उपबन्ध इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को या उसके बाद की जाने वाली उन यात्राओं पर लागू होंगे जिनमें 1978-81 के चार वर्षों के ब्लाक के लिए अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाया जाता है (किन्तु वर्ष 1974-77 ब्लाक के लिए अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन की गई यात्राओं पर लागू नहीं होंगे) । यह उपबन्ध ऐसे मामलों पर भी लागू होगा जिनमें या तो सरकारी कर्मचारी ने स्वयं या उसके परिवार के कुछ सदस्यों ने ब्लाक 1978-81 के सम्बन्ध में छुट्टी यात्रा रियायत पहले ही प्राप्त कर ली है किन्तु परिवार के शेष सदस्य इस रियायत का लाभ इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के बाद उठाते हैं । पुराने मामलों को फिर शुरू नहीं किया जाएगा ।

4- जहाँ तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जा रहे हैं ।

(आर० सी० गुप्त)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

संख्या 31011/2/75-स्थापना(क) नई दिल्ली, दिनांक 3 फरवरी, 1979

सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रतिलिपि प्रेषितः-

1- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।

2- संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3- केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4- रजिस्ट्रार, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ।
5- लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
6- भारतीय अल्पसंख्यक आयुक्त, इलाहाबाद ।
7- सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
8- वित्त मंत्रालय(व्यय विभाग) (ई-I) (बी)
25 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
9- सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जे0 सी0 एम0) अशोक रोड नई दिल्ली ।
10- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा गृह मंत्रालय के सभी सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
11- कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा गृह मंत्रालय के सभी अनुभाग ।

(आर0 सी0 गुप्त)
उप सचिव, भारत सरकार